

३८

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3006—पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 25—८—२०१५ पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 268/14—१५/अपील

ललित मिश्रा पुत्र श्री मनोहरलाल मिश्रा
निवासी जयमलसिंह की कॉलोनी शास्त्री वार्ड,
सोहागपुर जिला होशंगाबाद म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध

1—डेविड आत्मज श्री विक्टर मसीह
निवासी ग्राम छेड़का हाल मुकाम बजरंगपुरा
इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
2—मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री के०के०द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्रसिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—८—२०१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ग्राम छेड़का तहसील सोहागपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 43/1 रकबा 3 एकड़ का भूमिस्वामी होकर

०२८

२५/३/१८

काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि को आवेदक द्वारा उसके बड़े भाई को बहला फुसलाकर अपने नाम रजिस्ट्री बैनामा करा लिया है अतः उक्त विक्य पत्र शून्य घोषित किया जाकर प्रश्नाधीन अनावेदक कमांक 1 को दिलवाई जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29-5-2005 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 14-3-2006 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 25-8-2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि आदिवासी के भूमि के विक्य पत्र में विक्य के पूर्व की जो स्थिति थी उसे बनाये रखते हुये अभिलेखों को दुरुस्त करने एवं कब्जा नहीं होने पर कब्जा दिलवाये जाने के आदेश दिये गये। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्य पत्र के माध्यम से क्य की गई है और पंजीकृत विक्य पत्र की जाँच करने एवं उसे शून्य घोषित किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्य पत्र उपपंजीयक के समक्ष पंजीयन कराया गया है और पंजीयन के समय विक्य प्रतिफल की पूर्ण राशि विकेता को दी गई है। तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आवेदक एवं अनावेदक दोनों आदिवासी जाति के नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विक्य करने के उपरांत 11 वर्ष बाद आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है और यदि इस प्रकार की कार्यवाही हुई है तो विक्य व्यवहार न्यायालय से निरस्त कराया जा सकता है।

4/ अनावेदक कमांक 1 विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा जालसाजी करके धोखाधड़ी से विक्य पत्र निष्पादित कराया गया है जबकि

वास्तव में अनावेदक कमांक 1 के बड़े भाई द्वारा किसी प्रकार की कोई भी भूमि का विक्यय नहीं किया गया है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक अनुसूचित जन जाति का सदस्य है तथा उसे अपनी भूमि विक्यय करने के पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेना चाहिये थी जो अनावेदक द्वारा नहीं ली गई है । अतः अनावेदक द्वारा कलेक्टर की अनुमति लिये बिना प्रश्नाधीन भूमि को विक्यय किया गया है, जो संहिता की धारा 165 व 170(ख) का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिये आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त कर प्रकरण में तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे आदिवासी की भूमि के विक्यय पत्र में विक्यय के पूर्व की जो स्थिति थी, उसे बनाये रखते हुये अभिलेखों को दुरुस्त कर कब्जा न होने पर कब्जा दिलायें, इसलिये आयुक्त के आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-8-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

8/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 266—पीबीआर / 2014 (लोकेश कुमार विरुद्ध थियो आदि) एवं निगरानी प्रकरण कमांक 267—पीबीआर / 2014 (ललित कुमार विरुद्ध सालोमन आदि) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर